



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45962

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6926/2026

पंकज सिंह और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 12 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राम प्रसाद यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण इस आदेश से व्यथित हों तो उनका आदेश में संशोधन/परिवर्तन की प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 को वाद संख्या 15672/2024, कंप्यूटरीकृत संख्या 202417140115672 को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि संबंधित प्रत्यर्थी उक्त वाद को विधि के अनुसार और जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, अनावश्यक स्थगन दिए बिना विनिश्चित करे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

27 फ़रवरी, 2026

शकलैन